

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली  
(भवन प्रभाग)

सं. सी-4-1(9)/भवन/विविध/2019/ 78

दिनांक: 09 मई, 2019

कार्यालय आदेश

भवन प्रभाग में तैनात समस्त चालकों को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय (local) एवं बाहरी ड्यूटि (out station) की मांग पर्ची पर दर्शाए गए बिन्दु अथवा बिन्दुओं से अन्यत्र वाहन लेकर न जाए। यदि उन्हें परिस्थितिवश अन्यत्र जाना ही पड़े तो इससे पहले उन्हें अधोहस्ताक्षरी अथवा भवन प्रभाग के वैज्ञानिक 'घ' से दूरभाष पर अनुमति लेने की आवश्यकता होगी जिसे कार्यालय पहुँच कर रेकॉर्ड भी करना होगा। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखा जाए कि केवल उसी व्यक्ति के साथ यात्रा की जाए जिसके नाम का मांग पर्ची उल्लेख किया गया है। साथ ही, सुरक्षा की दृष्टि से यह भी निर्देश दिया जाता है कि सभी चालक बाहरी (out station) यात्रा के दौरान मध्य रात्रि के समय वाहन नहीं चलाएँगे जब तक कोई आपातकालीन स्थिति न हो।

कृपया, उपरोक्त निदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(दीनबंधु गौड़ा)  
प्रभागीय प्रमुख (भवन)

प्रति:

1. भवन प्रभाग के समस्त चालक (स्थायी/अस्थायी/अनुबंधित)।

प्रतिलिपि:

2. सदस्य सचिव के निजी सचिव - कृपया, सदस्य सचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. वैज्ञानिक 'घ', भवन प्रभाग
4. श्री सन्मुख मिश्रा, कनिष्ठ तकनीशियन, भवन प्रभाग - आवश्यकतानुसार कार्यवाही हेतु।
5. सूचना पट्ट (परिवेश भवन के सभी तल) - कृपया, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ।
- ✓ 6. प्रभारी प्रमुख (आईटी) - केंद्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) - कृपया सूचनार्थ